ters connected with the Law of the Sea Conference.

(c) The negotiations at the Sixth Session of the U. N. Conference on the Law of Sea are still in progress.

Introduction of direct Train between Ahmedabad and Amritsar

2594. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation/memorandum from individuals and associations in Gujarat and Punjab States demanding the introduction of a new direct train—express or fast—between Ahmedabad and Amritsar; and

(b) if so, Government's response thereto?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) and (b). No recent representation or memorandum suggesting introduction of a direct train between Ahmedabad and Amritsar has been received. Introduction of a direct train between Ahmedabad and Amritsar is at present not operationally feasible for want of spare line capacity on saturated sections enroute and of requisite terminal facilities at Ahmedabad.

Improvement in Rail Communication in Saurashtra and Gujarat

2595. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the railway network in the Saurashtra peninsula region of Gujarat is quite cumbersome and complex involving a lot of junctions and changes, tiring and long journeys, slow moving trains, time consuming and breath-taking for the passengers; and

(b) if so, broad details of how and when Government propose to remedy and improve the said situation of rail communication in Saurashtra and Gujarat?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) and (b). The Railway network in Saurashtra region is quite intense and consequently there are large number of junctions. The conversion of Viramgam-Okha-Porbandar section to BG is under progress and this will eliminate transhipment partly and speed up traffic.

रेलवे स्टेशनों पर सामान बेचने के लिए ठेका देने हेतु अपनाया गया मापदण्ड

2596. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने रेलवे स्टेशन पर सामान बेचने हेतु ठेके देने के बारे में क्या मापदंड अपनाया है;

(ख) आपात स्थिति के दौरान महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी तथा मध्य रेलवे में टी स्टाल खोलने तथा अन्य सामान बेचने के लिए किन किन स्टेशनों पर किन किन व्यक्तियों को ठेके दिये गये ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ रेलवे स्टेशनों पर ऐसे व्यक्तियों को ठेके दिये गये जिनके आवेदन पत्र समय पर प्राप्त नहीं हुए थे और जिन्हें सामान विक्रय करने का कोई अनुभव भी नहीं था; और

(घ) क्या रेलवे बोर्ड का विचार उन सभी व्यक्तियों के ठेके रद्द करके जिनके लिये आदेश सीधे मंत्रालय द्वारा दिये गये थे, नये सिरे से आवेदन पत्र मांग कर रेलवे स्टेशनों पर स्टाल खोलने के लिए ईमानदार व्यक्तियों को ठेका देने का है ?

रेल मन्त्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) बैंडिंग के ठेके देने के लिए प्रेस अधिसूचनाओं द्वारा आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं और रेलवे स्टेशनों पर विशिष्ट स्थानों पर सूचनाएं भी प्रदर्शित की जाती हैं। उसके बाद, उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव, वित्तीय स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए, एक जांच समिति जिसमें दो या दो से अधिक अधिकारी होते हैं, द्वारा आवेदन-पत्रों की संवीक्षा की जाती है। जांच समिति उपयुक्त उम्मीदवारों के गुण-दोष के आधार पर समर्थ प्राधिकारी से सिफारिश करती है जो जांच समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद—सब से उपयुक्त व्यक्ति को ठेका देती है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एस टी—622 77]

(ग) भूतपूर्व रेल मंत्री द्वारा दिये गये आदेशों के अन्तर्गत मध्य रेलवे के घटकों पर स्टेशन पर और बिखरौली स्टेशन पर चाय की एक-एक स्टाल का ठेका आवंटित किया गया था और कोई आवेदन-पत्र आमंत्रित नहीं किये गये थे। इन दोनों व्यक्तियों को पूर्व अनुभव था। अन्य सभी मामलों में नियमानुसार आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे और पूर्व अनुभव-प्राप्त व्यक्तियों को ठेके आवंटित किये गये थे।

(घ) यह मामला विचाराधीन है।

आपात स्थिति के दौरान सामान्य व्यक्तियों को निःशुल्क रेलवे पास

2597. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) आपात स्थिति के दौरान कितने व्यक्तियों को निःशुल्क रेलवे पास दिये गये और इसकी कसौटी क्या थी ;

(ख) 1 मई, 1977 तक कितने व्यक्ति पासों का लाभ उठा रहे थे और इसके परिणाम-स्वरूप राष्ट्र को क्या लाभ हुआ ; और

(ग) क्या उक्त पास जारी किये जाने के कारण रेलवे को राजस्व की हानि हुई और इससे पक्षपात को बढ़ावा भी मिलता है ?

रेल मन्त्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख). मंत्री महोदय के अनुमोदन से संगठनों व्यक्तियों को 253 मानार्थ कार्ड पास जारी किये गये थे जिनमें से 240 मानार्थ कार्ड पास 1-5-77 को वैध थे।

(ग) यदि ये मानार्थ कार्ड पास न दिये जायें, तो उन व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली सम्भावित रेल यात्राओं का अनुमान लगा पाना कठिन होगा। अतः रेलवे राजस्व को होने वाली हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार के पास जारी करने से सम्बन्धित मानदण्डों की पुनरीक्षा की जा रही है।

Contracts of tea and other Stalls in Maharashtra

2598. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that while granting contracts of tea and other stalls on the railway stations on the Western and Central Railways in Maharashtra during emergency, the recommendations of the concerned General Managers were not taken into account; and

(b) whether these contracts were given to persons belonging to Eastern Uttar Pradesh who were personal men of the former Railway Minister?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) Allotment of tea and other stall contracts is within the competence of the General Managers. However, one tea stall contract at Ghatkopar station